

सी. 8-57/2019/113

Page 23 of 72

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
प्रश्नसामान्य प्रशासन विभाग (प्रश्न-६)
पृष्ठी क्रमांक 2497/2019
पंजी दिनांक 27/11/19

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 10/12/2019

वर्ग :-2 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 18/12/2019

विभाग का नाम : सामान्य प्रशासन

विषय : जीवित 02 से अधिक संतानों में तीसरे बच्चे के सेवारत शासकीय सेवकों को सेवा से अपात्र करने बाबत।

(अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 559) श्रीसंजय शाह मकड़ाई

क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम-6 के तहत दिनांक 26 जनवरी, 2001 को जीवित संतानों में तीसरे बच्चे (पुत्र/पुत्री/गोद ली गई संतान) का जन्म दिनांक 26/1/01 को या उसके बाद का है तो उक्त कृत्य अवचार (misconduct) को माना गया है? (ख) यदि हां तो क्या शासन के सभी विभागों द्वारा पालन कर ऐसे शासकीय सेवकों को आज दिनांक तक शासकीय सेवा के लिये अपात्र माना जाकर सेवा से पृथक का दण्ड दिया गया है। यदि हां तो विभागवार सेवा से पृथक शासकीय सेवकों के नामजद, पदवार सूची के साथ कुल संख्या कितनी है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) अनुसार जिन शासकीय सेवकों ने जीवित 03 संतानों में तीसरे बच्चे की जानकारी छुपा रखी है, वह जानकारी ऐसे शासकीय सेवकों ने प्राप्त कर उनको सेवा से अपात्र कब तक कर दिया जावेगा तथा ऐसे शासकीय सेवकों की कुल संख्या बतावें।

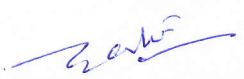
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, 26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/मंडी कार्मिक/अ-2/वि.सभाअता. 559/1747 भोपाल, दिनांक 05/12/2019
प्रति,

1. संयुक्त/उप संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंच. कार्य ----- (समस्त)
2. कार्यपालन यंत्री
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग ----- (समस्त)
3. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ----- (समस्त)

विषय :- विधानसभा प्रश्न क्रमांक-559 अतारांकित के संबंध में।

विधानसभा प्रश्न क्रमांक-559 अतारांकित का उत्तर अतिरिक्त जानकारी के सहित आज ही ई-मेल के माध्यम से मंडी बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


सहायक संचालक(कार्मिक)